न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 181/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–28.08.2024

GCMS ID–2024/300

उनवान

1. नंदा आयु 65 वर्ष पुत्र कालू जाति मीणा निवासी विजयगढ
2. कैलाश आयु 62 वर्ष पुत्र कालू जाति मीणा निवासी विजयगढ
3. धापू बाई आयु 45 वर्ष पुत्री किशोर जाति मीणा निवासी विजयगढ
4. नूरका बाई आयु 40 वर्ष पुत्री किशोर जाति मीणा निवासी विजयगढ
5. मन्नी बाई आयु 53 वर्ष पुत्री किशोर जाति मीणा निवासी विजयगढ
6. श्रवण आयु 55 वर्ष पुत्र किशोर जाति मीणा निवासी विजयगढ
7. मीला बाई आयु 43 वर्ष पुत्री किशोर जाति मीणा निवासी विजयगढ
8. शंकर आयु 55 वर्ष पुत्र धन्ना जाति मीणा निवासी विजयगढ
9. कमलेश आयु 35 वर्ष पुत्र नंदलाल जाति मीणा निवासी विजयगढ
10. रिंकु पत्नि यादराम जाति मीणा निवासी विजयगढ
11. पुष्पा पत्नि हंसराज जाति मीणा निवासी विजयगढ तह0 हिण्डोली

प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश आयु बालिग पुत्र मानसिंह जाति मीणा निवासी विजयगढ
2. काली आयु बालिग पुत्री फून्दया जाति मीणा निवासी विजयगढ
3. काली आयु बालिग पत्नि पन्ना जाति मीणा निवासी विजयगढ
4. ग्यारसीलाल आयु बालिग पुत्र रामनारान जाति मीणा निवासी विजयगढ
5. चतरा आयु बालिग पुत्र गिरधारी जाति मीणा निवासी विजयगढ
6. मदन आयु बालिग पुत्र चतरा जाति मीणा निवासी विजयगढ
7. प्रकाश आयु बालिग पुत्र चतरा जाति मीणा निवासी विजयगढ
8. शंकर आयु बालिग पुत्र चतरा जाति मीणा निवासी विजयगढ
9. श्यामलाल आयु बालिग पुत्र चतरा जाति मीणा निवासी विजयगढ
10. छोटू आयु बालिग पुत्र फून्दया जाति मीणा निवासी विजयगढ
11. डालचंद आयु बालिग पुत्र हुकमा जाति मीणा निवासी विजयगढ
12. नंदा आयु बालिग पुत्र फून्दया जाति मीणा निवासी विजयगढ
13. नीमलाल आयु बालिग पुत्र पन्ना जाति मीणा निवासी विजयगढ
14. पुष्पा आयु बालिग पत्नि पन्ना जाति मीणा निवासी विजयगढ
15. बरधा आयु बालिग पुत्र कालू जाति मीणा निवासी विजयगढ
16. ब्रह्मानंद आयु बालिग पुत्र किशोर जाति मीणा निवासी विजयगढ
17. मुकेश आयु बालिग पुत्र किशोर जाति मीणा निवासी विजयगढ
18. रतना आयु बालिग पुत्र रूघा जाति मीणा निवासी विजयगढ
19. राजू आयु बालिग पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी विजयगढ
20. रामकरण आयु बालिग पुत्र रामनारान जाति मीणा निवासी विजयगढ
21. रामप्यारी आयु बालिग पुत्री फून्दया जाति मीणा निवासी विजयगढ
22. लादू आयु बालिग पुत्र रूघा जाति मीणा निवासी विजयगढ,
23. शिवराज आयु बालिग पुत्र मथुरा जाति मीणा निवासी विजयगढ

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

24. सुखपाल आयु बालिग पुत्र मथरा जाति मीणा निवासी विजयगढ
25. सत्यनारायण आयु बालिग पुत्र हुकमा जाति मीणा निवासी विजयगढ
26. सोमा आयु बालिग पुत्र फून्दया जाति मीणा निवासी विजयगढ तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
27. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :— एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांक : 30.06.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि ग्राम विजयगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 197 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1310 रकबा 0.6313 है., 1346 रकबा 0.243 है., 1350 रकबा 0.4047, 1814/1420 रकबा 1.1331 है. कुल किता 4 कुल रकबा 2.1934 है. स्थित है। इसके अलावा विजयगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 549 के खसरा संख्या 1345 रकबा 0.4128 है., 1347 रकबा 0.3966 है., 1348 रकबा 0. 3885 है., 1349 रकबा 0.2023 है. स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियो के खातेदार प्रार्थीगण 1 लगायत 11 है। भूमि खसरा संख्या 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1172, 1188, 1218, 1276, 1305, 1307, 1311, 1326, 1343, 1344 कुल किता 15 कुल रकबा 7.7214 है. ग्राम विजयगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 118 में स्थित है। उक्त भूमि के खातेदार कृषक अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 एवं 10 लगायत 26 है। अप्रार्थीगण ताकतवर, प्रभावशाली व लड़ाकू व्यक्ति है। अप्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमियां प्रार्थीगण के पडोस में स्थित है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमियो के समीप प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 1310 व 1345 आ रही है। अप्रार्थीगण अधिक संख्या व ताकतवर होने से धीरे धीरे प्रार्थीगण की उपरोक्त खसरा संख्या 1310 व 1345 की सीमाओ को दबाते रहते है और इस बात को लेकर विवाद होता रहता है। जून 2024 के प्रथम सप्ताह की घटना है कि अप्रार्थीगण जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। प्रार्थीगण ने उनको रोका और कहा कि थोडे थोडे दिन में आप लोग हमारी जमीन को दबा रहे हो इस पर अप्रार्थीगण ने कहा कि हम लोग हमारी जमीन पर ही काबिज है फिर भी यदि प्रार्थीगण को शंका है तो प्रार्थीगण अपनी जमीनो का सीमाज्ञान करवा ले, यदि सीमाज्ञान में प्रार्थीगण की कोई भी जमीन का हिस्सा हमारी ओर निकलता है तो हम उसको छोड़ देगे। मौके पर दोनो पक्ष पडोसी काश्तकार है, भविष्य में विवाद ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराने का आवेदन अप्रार्थी कम 27 के कार्यालय में दिया। अप्रार्थी कम 27 ने प्रार्थीगण की भूमियो का सीमाज्ञान करवाने का आदेश पटवारी को जारी किया। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी कैलाश, कमलेश एवं अन्य ग्रामवासीयान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

की मौजूदगी में दिनांक 22.06.2024 को सीमाज्ञान करवाया और प्रार्थीगण को उनकी भूमि की सीमा बता दी। जिसकी जानकारी मौके पर आये अप्रार्थीगण के व्यक्तियो को है लेकिन उन्होने सीमाज्ञान पर हस्ताक्षर नही किये। सीमाज्ञान के मुताबिक अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1345 व 1310 की कुछ भूमि व आने जाने का रास्ता जो सरकारी भूमि में है, उसे भी दबा रखा है। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान के उपरांत अप्रार्थीगण से कहा कि जो सीमाज्ञान में जो सीमा बतायी और हमारी जमीन जो आपकी तरफ दब रखी है उसे छोड़ दे, साथ ही आने जाने के रास्ते में बाधा नहीं डाले, लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की जगह को छोडने से इंकार हो गये। प्रार्थीगण के पास भविष्य में कोई विवाद ना हो इसके लिए अपनी भूमियो की सीमाज्ञान के उपरांत पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है अन्यथा मौके पर भारी विवाद होने का अंदेशा है। अंतिम बार प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से अपनी भूमि छोड़ने के लिए 07.07.2024 को कहा लेकिन अप्रार्थीगण इंकार हो गये, यही वाद कारण है। प्रार्थीगण अपनी भूमियो की पत्थरगढ़ी करवा कर पत्थरर गाड कर सीमाबंदी करवाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 3 में वर्णित कृषि भूमियां ग्राम विजयगढ़ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे स्थित है, अतः श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र श्रवण करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व उचित तलबाने के साथ प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खाते की कृषि भूमियां खसरा संख्या 1310 व 1345 की पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश प्रदान करे एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीगण को दिलायी जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए। अप्रार्थीगण 01 लगायत 26 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनका जवाब दिनांक 22.05.2025 को बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 27 ने प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार राशि जमा कराने के उपरान्त पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। बहस वकील प्रार्थीगण मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान के बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम विजयगढ पटवार मण्डल विजयगढ तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 197 व 549 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 197 के खसरा सं0 1310 रकबा 0.6313 हैक्टेयर व खाता संख्या 549 के खसरा सख्या 1345 रकबा 0.4002 है0 वाके ग्राम विजयगढ प0म0 विजयगढ तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहर्रीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446